

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.: 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:—एफ.4(ई)(मेरिट नं.—स्पे23/1992)/निप/अलेसे—III/2339

दिनांक:— 23-12-2021

आदेश संख्या 522/2021-22

श्री धीरसिंह रैगर, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जोनल अभियन्ता, पृथ्वीराज नगर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-3 जयपुर ने निर्णय दिनांक 28.09.2021 द्वारा अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत 01 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1)(डी)(1) सपठित धारा 13 (2) के तहत 02 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अतः यह माना गया है कि श्री धीरसिंह रैगर, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण उसे दोष सिद्ध ठहराया गया है ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री धीरसिंह रैगर, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निर्णय दिनांक 28.09.2021 से पदच्युत करते हैं/सेवा से हटाते हैं।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:—एफ.4(ई)(मेरिट नं.—स्पे23/1992)/निप/अलेसे—III/2339
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

दिनांक:— 23-12-2021

- 1- महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/विधि/7/2021/2532.33 दिनांक 27.10.2021 के क्रम में।
- 2- शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर।
- 3- शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
- 4- महानिरीक्षक, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 5- पुलिस अधीक्षक, (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 7- उपकोष, मनोहरस्थाना (झालावाड)।
- 8- उपकोषाधिकारी उप कोष कार्यालय राजाखेडा, जिला धोलपुर।
- 9- निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
- 10- अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-I/डीपीसी शाखा कार्यालय हाजा।
- 11- श्री धीरसिंह रैगर, कनिष्ठ लेखाकार.....
- 12- उप निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट उपलोड करने हेतु)
- 13- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 14- गोपनीय/पदस्थापन सीट।
- 15- कनिष्ठ लेखाकार वरिष्ठता सूची सीट।
- 16- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—III)